तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
——

उपस्थितः
श्री वी. पी. सिंह : राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

——

—: आदेश :—

यह रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जयपुर के निर्णय दिनांक 7/5/2003 से प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, बस्सी ने धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर, जयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी के खसरा नम्बर 173 रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा भूमि एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2018 में माफी मंदिर श्री बराई माताजी वाके आमेर एहतमाम पुजारी अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री दुर्गालाल जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में मकबूजा पानेदार बिला लगानी दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत 2021—24 तैयार करते समय बिना किसी विधिक आदेश के तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा माफी मंदिर श्री बराई माताजी का नाम विलोपित करते हुए राजकीय गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात उक्त भूमि विभिन्न अप्रार्थीगण/व्यक्तियों को नियमन कर दी गई जिसके आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में विभिन्न नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2053—56 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 173/3/408 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 173/8/413 रकबा 18 बिस्वा, 173/412 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 173/409 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/408 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 173/406 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/411 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं 173/410 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थीगण गोपाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीना वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः निवेदन किया गया है कि विवादित भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेख में किये गये विधि विरूद्ध इन्द्राजों को अपास्त किया जाकर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री बराई माताजी वाके आमेर के खाते में दर्ज किया जावें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 7/5/2003 द्वारा रेफरेंस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विवादित भूमि माफी मंदिर श्री बराई माताजी के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस मण्डल में प्रेषित किया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान राजकीय अधिवक्ता का इस प्रकरण में कथन हैं कि विवादित भूमि एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2018 में माफी मंदिर श्री बराई माताजी वाके आमेर एहतमाम पुजारी अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री दुर्गालाल जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में मकबूजा पानेदार बिला लगानी दर्ज था। कालान्तर में जमाबन्दी तैयार करते समय माफी मंदिर श्री बराई माताजी का नाम विलोपित करते हुए विवादित भूमि बिना किसी विधिक आदेश विधि विरूद्ध तरीके से राजकीय गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात उक्त भूमि विभिन्न अप्रार्थीगण/व्यक्तियों को नियमन कर दी गई जिसके आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में विभिन्न नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2053–56 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 173/3/408 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 173/8/413 रकबा 18 बिस्वा, 173/412 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 173/409 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/408 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 173/406 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/411 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं 173/410 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थीगण गोपाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीना वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि माफी मंदिर श्री बराई माताजी शाश्वत नाबालिग है और उनकी खातेदारी में दर्ज भूमि का अन्य किसी के पक्ष में हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता, न ही उनके राजस्व अभिलेखों से इन्द्राज हटाये जा सकते हैं। उनका कथन है कि राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से निष्पादित यह कार्यवाही पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं मनमानी है। विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि चूंकि राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजात बिना किसी सक्षम स्वीकृति के एवं बिना क्षेत्राधिकार के माफी मंदिर श्री बराई माताजी के पीठ पीछे किये गये हैं। विद्वान अधिवक्ता ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय के आधार पर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री बराई माताजी के पक्ष में दर्ज करने हेतु निवेदन किया। हमने विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2018 में माफी मंदिर श्री बराई माताजी वाके आमेर एहतमाम पुजारी अम्बिका प्रसाद पुत्र श्री दुर्गालाल जाति ब्राहमण की खातेदारी में दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में मकबूजा पानेदार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बिला लगानी दर्ज था, जिसे कालान्तर में जमाबन्दी तैयार करते समय माफी मंदिर श्री बराई माताजी का नाम विलोपित करते हुए विवादित भूमि बिना किसी विधिक आदेश विधि विरूद्ध तरीके से राजकीय गैर मुमकिन तलाई दर्ज कर दी गई एवं तत्पश्चात उक्त भूमि विभिन्न अप्रार्थीगण/व्यक्तियों को नियमन कर दी गई, जिसके आधार पर अप्रार्थीगण के पक्ष में विभिन्न नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये तथा वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2053–56 में विवादित भूमि खसरा नम्बर 173/3/408 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 173/8/413 रकबा 18 बिस्वा, 173/412 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 173/409 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/408 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 173/406 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/411 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं 173/410 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा अप्रार्थीगण गोपाल पुत्र श्री कल्याण जाति मीना वगैरह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि मूलतः माफी मंदिर श्री बराई माताजी की खातेदारी की थी, जिसे कालान्तर में अप्रार्थीगण के नाम विधि विरूद्ध दर्ज कर दी गयी। अधिनियम की धारा 46 में माफी को विशेष संरक्षण प्राप्त है तथा इसके प्रभाव से अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये हस्तान्तरण का कोई महत्व नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने ए.आई.आर. 1998 (राजस्थान) पेज 85 के अतिरिक्त श्री आईदान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (11 जुलाई, 2000) एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत श्री पृथ्वी लाल बनाम राजस्व मण्डल राजस्थान (जनवरी 29, 2004) प्रकरणों के प्रकाश में माफी की भूमि पर अन्य किसी को खातेदारी दिये जाने को विधि विरूद्व करार दिया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में जो इन्द्राज किये गये हैं वे एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध होकर माफी मंदिर के हितों के विपरीत हैं। एक शाश्वत अवयस्क व्यक्ति की खातेदारी की भूमि किसी अन्य की खातेदारी में बिना जिला न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति के हस्तान्तरित नही की जा सकती। इस प्रकरण में माफी मंदिर श्री बराई माताजी की भूमि को खुर्द बुर्द करने की यह संपूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध, कपटपूर्ण एवं मनमानी है, जिसे अपास्त किया जाना व्यापक न्यायहित में है। इस न्यायालय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 7/5/2003 का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया है। इस न्यायालय का सुविचारित मत है कि विवादित भूमि एकीकरण खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2018 में माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज थी। माफी मंदिर की भूमि एक शाश्वत नाबालिग की भूमि होने के कारण इसे बिना सक्षम न्यायालय की स्वीकृति के हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में माफी की भूमि को विधि विरूद्ध तरीके से अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध, व्यर्थ एवं शुन्य प्रभावी है तथा ऐसे हस्तान्तरण से अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह न्यायालय इस प्रकरण में अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि के इन्द्राज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को विधि विरूद्ध एवं मनमानी कार्यवाही के रूप में पाता है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि विवादित भूमि माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज थी तथा माफी मंदिर शाश्वत नाबालिग होने से उनके खाते की भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया इन्द्राज किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से नहीं किया गया है। इस प्रकार माफी मंदिर की खातेदारी भूमि पर प्रथमतः अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व है, जिसे अपास्त किया जाना न्यायोचित है। यह न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), जयपुर के निर्णय दिनांक 7/5/2003 में की गई जांच से पूर्णतया सहमत होते हुए यह रेफरेंस प्रकरण एतद् द्वारा स्वीकार कर अप्रार्थीगण के पक्ष में विधि विरूद्ध स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 8 लगायत 15, 83 लगायत 85, 87, 88, 90, 111, 126, 186, 202, 203 एवं 247 अपास्त करता है। तहसीलदार, बस्सी को निर्देश हैं कि वे ग्राम गुढामीना तहसील बस्सी जिला जयपुर के हाल खसरा नम्बर 173/3/408 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, 173/8/413 रकबा 18 बिस्वा, 173/412 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, 173/409 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/408 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 173/406 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 173/411 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा एवं 173/410 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा कुल रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध में अप्रार्थीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजात को हटा कर विवादित भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री बराई माताजी के नाम दर्ज की जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। आदेश सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए